राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

क्रमांक एफ.3 (ख) (1) ( )/अलेसे–II/16778–16867 दिनांक :13 मार्च 2013

आदेश संख्या 306/ 2012–13

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लेखाकार (संयुक्त प्रतियोगी) सीधी भर्ती परीक्षा, 2011 में सफल घोषित किये जाने एवं आयोग की अनुशंषानुसार चयनित सूची में से निम्नांकित अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा राज. अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 6 के अनुसार परिवीक्षाधीन लेखाकार के रूप में उपस्थिति देने की तिथि से दो वर्ष की कालावधि के लिए रूपये 11100/– (ग्यारह हजार एक सौ रूपये) प्रति माह के स्थाई पारिश्रमिक पर अथवा जो अभ्यर्थी पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, उनके संदर्भ में वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक प.1 (2) वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार देय वेतन भत्तों पर उपस्थिति देने की संगत तिथि से एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा आदेश दिये जाते है कि वे उनके नाम के सामने अंकित विभाग/ कार्यालय में दिनांक **01 अप्रेल 2013** तक प्रातः **9.30 बजे** अपनी उपस्थिति आवश्यक रूप से देकर इस विभाग को सूचित करेगें अन्यथा उक्त तिथि के बाद उनके नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझे जावेगें ।

क.स.	मेरिट कमांक	रोल नम्बर	नाम/पिता का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	जन्म तिथि	गृह जिला	श्रेणी	विभाग/ कार्यालय का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	10	500212	कमलेश कुमार चौहान / राम गोपाल चौहान 328 ए, हनुमान जी के मंदिर के पीछे, बजरंग नगर,कोटा	26.01.1976	बारां	OBC.	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सांगोद, कोटा	रिक्त पद पर पति पत्नी प्रकरण
2.	45	304160	सुनील कुमार लीम्बा/ मदनलाल लीम्बा 140, रामदेव कालोनी, 5–ई छोटी, श्रीगंगानगर – 335001	20.07.1976	श्रीगंगानगर	BC	कोषालय, पाली	रिक्त पद पर
3.	86	402568	सुरेश कुमार /धनाराम, घॉची, उदयपुर रोड खटीक वास, पिण्डवाडा, जिला सिरोही–307022	09.02.1986	सिरोही	OBC.	पंचायत समिति, पिण्डवाडा, सिरोही	रिक्त पद पर
4.	87	705844	शम्भू दयाल गुप्ता/ मोहन लाल गुप्ता 64/675 प्रतापनगर, सांगानेर. श्योपुर रोड,जयपुर.	05.07.1972	करौली	Gen	बाल विकास परियोजना अधिकारी, दूदू, जयपुर	रिक्त पद पर पति पत्नी प्रकरण
5.	101	722871	मुरारी लाल वर्मा / विश्वम्मर लाल वर्मा गणेश मन्दिर के पास, वार्ड नम्बर 21, चिडावा, झून्झूनू – 333026	22.05.1971	झुन्झनू	BC	जिला परिवहन अधिकारी, सिरोही	रिक्त पद पर
6.	117	703334	हेमाराम/ मांगीलाल गुर्जरों की ढाणी, ग्रा0 हरसोला, वाया गोटन, तह0 मेड़ता (नागौर) पिन– 342902	06.08.1987	नागौर	S.B.	जल ग्रहण एवं भू–संरक्षण, जिला परिषद, सिरोही	रिक्त पद पर
7.	118	301531	सुनील कुमार घोडेला/साधूराम घोडेला,वार्ड नं0 9, गली नं0 4, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर–335001	22.07.1978	श्रीगंगा नगर	OBC.	उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.निधि विभाग, पाली	रिक्त पद पर
8.	120	402212	श्री गुगनराम तेतरवाल पुत्र श्री हरलाल सिंह तेतरवाल ग्राम पोस्ट खांसोली जिला चूरू–331001	05.03.1980	चूरू	OBC	बाल विकास परियोजना अधिकारी, जैतारण, पाली	रिक्त पद पर
9.	121	302789	जगदीश कुमार/शिवदिताराम, 81, III ब्लॉक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर–335001	08.03.1974	श्रीगंगानगर	GE.	पंचायत समिति, सूरतगढ, श्रीगंगानगर	रिक्त पद पर पति पत्नी प्रकरण
10.	143	301570	श्री भरत कुमार आचार्य /पुत्र श्री शिवशंकर आचार्य,आचार्यो का चौक, वाचनालय के पास, बीकानेर	12.09.1987	बीकानेर	GE.	सहायक निदेशक, कृषि, जिला परिषद, जैसलमेर	रिक्त पद पर
11.	182	710536	दीपक कुमार गोयल/श्री परमेश्वर दयाल,द्वारा श्री सत्यनारायण सोनी, जैन मौहल्ला, मांव.बांसखोह, तहसील. बस्सी, जिला जयपुर –303305	01.01.1983	भरतपुर	GE.	जिला परिवहन अधिकारी, चौमू, जिला जयपुर	रिक्त पद पर पति पत्नी प्रकरण
12.	184	602162	निमेश राठौड/प्रेम शंकर टेलर, 12 कोलपोल, बडाबाजार, उदयपुर–313001	12.06.1976	उदयपुर	OBC	पंचायत समिति, सलूम्बर, उदयपुर	रिक्त पद पर
13.	194	102508	सुरेन्द्र कुमार जैन/ शान्तीलाल जैन शान्ती गैस्ट हाउस के पास, सुभाष नगर,विजय नगर, अजमेर– 305624	01.07.1982	अजमेर	GE.	जिला कलेक्टर (राजस्व) प्रतापगढ	रिक्त पद पर
14.	209	719482	गोपाल दास स्वामी/जमना दास स्वामी , बिग्गा बास, वार्ड नं. 18 पोस्ट श्रीडूंगरगढ, जिला बीकानेर	28.08.1987	बीकानेर	BC	वाणिज्य कर अधिकारी, सिरोही	रिक्त पद पर
15.	219	709752	अमर सिंह चौधरी /जगदीश कुमार चौधरी, मु.पो.गंगातीकलां तह. मोजमाबाद, जिला जयपुर 333009	12.07.1988	जयपुर	BC	जिला आबकारी अधिकारी, बाडमेर	रिक्त पद पर
16.	239	304718	श्री मोहित विज/श्री इन्द्रमोहन विज 6–एच–21, जवाहर नगर श्रीगंगानगर 335001	13.10.1980	श्रीगंगानगर	GE.	पंचायत समिति, सादुलशहर, श्रीगंगानगर	रिक्त पद पर पति पत्नी प्रकरण
17.	246	303300	रविकान्त थानवी/ शिवगोपाल थानवी द्वारा खबिडी हंगाबी गली, काश नदी, बीकानेर–334005	27.02.1975	बीकानेर	Gen	जल ग्रहण एवं भू संरक्षण, जिला परिषद, जैसलमेर	रिक्त पद पर
18.	248	401313	नवीन कुमार गोयल / ओम प्रकाश द्वाराः– श्री नवीन कुमार गोयले (क. लि) द्वारा जिला एंव सत्र न्यायालय, जैसलमेर	05.07.1980	भरतपुर	GE.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, राग, जैसलमेर	रिक्त पद पर पति पत्नी प्रकरण
19.	299	603070	भानु प्रकाश साहू/ जगदीश चन्द्र ग्रा पोस्ट पिपरादा, जिला राजसमन्द–313324	21.09.1988	राज समन्द	BC	राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि डूंगरपुर	रिक्त पद पर प्रतिनियुक्ति पर
20.	300	603042	श्रुति माहेश्वरी/सत्यनारायण राठी 83, पोलोग्राउण्ड, उदयपुर–313001	25.07.1978	उदयपुर	GE	आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर	रिक्त पद पर

21.	322	402361	ओम प्रकाश खिटोलिया / मदन लाल खिटोलिया म0नं0 13, लाला लाजपतराय कॉलोनी, 5वी– चौपासनी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर– 342003	09.04.1979	जोधपुर	SC.	पंचायत समिति, चौहटन, बाडमेर	रिक्त पद पर
22.	335	401948	अशोक कुमार /किशन कुमार,विश्नोई, मु.पो. सिवाडा चौहान तह. सांचोर जिला जालौर 343041	04.03.1988	जालौर	BC	बाल विकास परियोजना अधिकारी, धौरीमन्ना, बाडमेर	रिक्त पद पर
23.	345	716345	श्री प्रदीप कुमार सुण्डा पुत्र श्री नेमीचन्द सुण्डा डी–172, बसन्त विहार झुन्झनू– 333001	05.04.1976	झुन्झनु	BC	पंचायत समिति, सूरजगढ, झुन्झनू	रिक्त पद पर पति पत्नी प्रकरण
24.	349	101103	रामप्रकाश जांगिड/ बन्शीराम जांगिड, जगण्णाथ रोड, कुचेरा, जिला नागौर	03.12.1976	नागौर	BC	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सोजत, पाली	रिक्त पद पर
25.	350	718044	देवव्रत सिंह/ शीशराम गुर्जर ग्राम सिकन्दरपुर पो. नाहिडा, तह. महवा, जिला दौसा–322240	01.12.1988	दौसा	BC	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाडी, धौलपुर	रिक्त पद पर
26.	353	401383	सुरेश कुमार /भागीरथ मल, ग्र. पो. डावल, त. सांचोर जिला जालौर 343027	09.01.1984	जालौर	BC	प्राचार्य, राजकीय यू जी महाविद्यालय, छात्र, जालौर	रिक्त पद पर
27.	355	712489	सतीश चन्द मीणा/शिव दयाद मीणा गांव बहादुरपुर, पोस्ट भोपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली–332230	21.07.1987	करौली	ST.	जिला महिला अधिकारिता विभाग, धौलपुर	रिक्त पद पर
28.	363	716956	जगतपाल बडगूजर / रमेश चन्द बडगूजर, मू0पो0 भूरथल वाया जयतपुरा, तह0 आमेर, जयपुर	30.11.1984	जयपुर	SC	उप वन सरक्षक, प्रतापगढ	रिक्त पद पर
29.	369	709313	फूलचन्द बैरवा/श्रवण लाल बैरवा बैरवा मोहल्ला थाने के पास, डिग्गी रोड, फागी जिला जयपुर–302005	06.09.1986	जयपुर	SC	जिला कलेक्टर (ई–गर्वनेन्स) पाली	रिक्त पद पर

उपरोक्त अभ्यार्थियों की लेखाकार पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तो पर की जा रही है:–

1- उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्म तिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र में अंकित एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा स्वीकृत जन्म तिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण–पत्र के के आधार पर अंकित की गई है।

2- यह नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों में अधिकथित निबन्धनों एवं शर्तो के अध्यधीन होगी।

3- यह नियुक्ति उप महानिरीक्षक,सी.आई.डी (सुरक्षा) जयपुर से अभ्यर्थी के चरित्र के संबंध में संतोषजनक प्रमाण– पत्र की शर्त पर है।

4- अभ्यर्थी को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियमों के अनुसार भविष्य में अनिवार्य प्रशिक्षण पर उपस्थिति देते समय दस रूपये के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध पत्र / बाण्ड जो नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित हो देना होगा।

5. अभ्यर्थी को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाण पत्र जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिये किन्तु महिलाओं के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी, किसी महिला चिकित्सक का स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी।

6. इन अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नही करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें राज्य सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।

7 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षाणार्थी की परिवीक्षा की कालावधि के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक **(Fixed remuneration)** के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते (विशेष भत्ता, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, बोनस आदि) देय नहीं होगें ।

8 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षार्थी को कार्यग्रहण काल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

9 यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परीवीक्षा की समयावधि में सन्तोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष लेखाकार होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी ।

10 उक्त नियुक्तियॉ माननीय न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न प्रकरणो के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन होगी ।

यदि कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण समाप्ति के दो वर्ष की अवधि में राजस्थान राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा से त्याग पत्र देना चाहेगा अथवा अन्यत्र पदग्रहण करना चाहेगा तो ऐसा करने से पूर्व प्रशिक्षण अवधि में उनके द्वारा प्राप्त वेतन एवं भत्ते एवं प्रशिक्षण पर हुये व्यय की दोगुना राशि का भुगतान उसे एक मुश्त राजकोष में जमा कराना होगा।

इस विभाग से पत्र व्यवहार करते समय अभ्यर्थी अपने मेरिट कमांक एवं बैच वर्ष का उल्लेख अवश्य करें अन्यथा उनके पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

निदेशक

क्रमांक एफ.3 (ख) (1) ( )/अलेसे–।।/16778–16867 दिनांक :13 मार्च 2013

प्रतिलिपि:–

1 शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर

2 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

3 विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष .... को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित अभ्यार्थी द्वारा उनके कार्यालय में उपस्थिति देते समय राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाण पत्र जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही उपस्थिति स्वीकार की जावे तथा कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करायें ।

4 श्री.. को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे निर्धारित तिथि को उनके नाम के सामने अंकित कालम संख्या 8 में दिनांक **01 अप्रेल 2013** तक आवश्यक रूप से उपस्थित होकर उपस्थिति रिपोर्ट सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ।

5 विशेषाधिकारी (कम्प्यूटर अनुभाग) वेबसाईट पर अपलोड हेतु

6 निजी सहायक, निदेशक

7 गोपनीय शाखा

8 रक्षित/निजी पत्रावली

अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक–I)

BOND TO BE EXECUTED BY GOVERNMENT SERVANT REQUIRED TO UNDERGO TRAINING ON RS.10/- NON JUDICIAL STAMP PAPER

This bond is made on the __________ date of 2012 by __________ Son of Shri __________ resident of __________ appointed to the post of ACCOUNTANT (hereinafter called the trainee) of the First Part and __________ Son of Shri __________ resident of __________ (First Surety); and __________ Son of Shri __________ resident of __________ (Second surety) hereinafter called collectively the sureties of the second part in favor of the Governor of the State of Rajasthan (hereinafter called the Government).

Whereas the Governor has selected the trainee for appointment to the post of ACCOUNTANT

And whereas in accordance with Rules it is necessary for the trainee, before assuming independent charge of the post for which he has been also selected to undergo training for a period of 16 weeks.

And whereas the Government have agreed to place the trainee under training on the terms hereinafter mentioned and on the condition that the sureties shall give security for the due performance by the trainee of the said terms.

And whereas the sureties have agreed to give security for the due performance by the trainee of the said terms in the manner hereinafter after appearing.

Now this deed witnesses as follows:-

(1) In consideration of the Government selecting the trainee for appointment to the post of ACCOUNTANT and arranging for his training in accordance with the Rules, and in pursuance of the said agreement, the trainee hereby covenants with the Government that during the period of such training and within a period of Two year after the completion of such training, he shall not resign the post for which he has been selected as aforesaid, nor shall he take up any employment other than post for which he has been so selected.

(2) For the consideration aforesaid in pursuance of the said agreement the trainee and the sureties agree that if, during the period of training or within a period of Two year after the completion of training, the trainee shall resign or take other employment in contravention of clause (1) above, the trainee and the sureties shall jointly and severally pay to the Government the double of the emoluments paid by the Government to the trainee during the period of his training together with other expenses incurred by the Government thereon but excluding the amounts paid to the trainee by way of traveling and daily allowances under the relevant rules:

Provided that the trainee and the Parities shall not be required so to pay the emoluments paid to the trainee during the period of his training, if the training imparted to the trainee, in the opinion of the Government, likely to provide useful in the new appointment also.

In witness whereof this bond has been signed by the trainee and the sureties the day in year above written.

Signed by the Trainee:

Witness (I)

Witness (II)

Signed by the First Surety

Witness (I)

Witness (II)

Signed by the Second Surety

Witness (I)

Witness (II)

Note:- All above persons give Full name & Address

Accepted
D.E.A.